भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3599

सोमवार, 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक)

बीड़ी कामगारों हेतु कल्याणकारी योजना

3599. श्री ओम प्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी कामगारों हेतु कार्यान्वित सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों जैसी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के तहत आबंटित, जारी और व्यय हुई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) बीड़ी कामगारों को उनके कार्यस्थलों पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी कामगारों से संबंधित मामलों पर ध्यान देने हेतु केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): बीड़ी कामगारों के लिए कल्याण योजनाएं

(i) बीड़ी/चूना पत्थर और डोलोमाइट खान/लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क खान/अभ्रक खानें/सिने कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु योजना।

जारी......2/-

योजना	सहायता की प्रकृति			
बीड़ी/चूना पत्थर और डोलोमाइट खान/लौह अयस्क/मैंगनीज अयस्क/क्रोम अयस्क खानें/अभ्रक खानें/सिने कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु योजना	प्रति वर्ष प्रति छात्र निम्नलिखित दरों पर कामगारों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।			
			दर	
	समूह	कक्षा	लड़की	लड़का
	समूह I	कक्षा I से IV	250	250
	समूह II	कक्षा V से VIII	940	500
	समूह III	कक्षा IX	1140	700
	समूह IV	कक्षा X	1840	1400
	समूह V	कक्षा XI से XII	2440	2000
		आईटीआई	10000	10000
	समूह VI	गैर व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम; गैर व्यावसायिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम ; दो-तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम और बीसीए, बीबीए एवं पीजीडीसीए	3000	3000
	समूह VII	व्यावसायिक स्नातक पाठ्यक्रम जैसे बी.ई./बी.टेक/ एमबीबीएस/ बीएएमएस/बीयूएमएस/ बीएससी (कृषि) और एमसीए/ एमबीए	15000	15000

II. संशोधित समेकित आवासीय योजना (आरआईएचएस), 2016:

बीड़ी कामगारों के लिए संशोधित समेकित आवासीय योजना (आरआईएचएस), 2016 मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन के 17 कल्याण आयुक्तों के कार्यालय के माध्यम से देश में लागू की जा रही है। 1,50,000/- रूपये की आवासीय सहायकी 25:60:15 के अनुपात में तीन किश्तों में संवितरित की जाती है।

जारी.....3/-

III. **स्वास्थ्य योजना:**

देश भर के 12 अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के अलावा, बीमारियों की कुछ श्रेणियों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है:-

क्र.सं.	उद्देश्य	उद्देश्य की प्रकृति
1	तपेदिक (ट्यूबरोक्लोसिस)	कामगारों के लिए टी.बी. अस्पतालों में बिस्तरों का आरक्षण और अधिवास उपचार। उपचार करने वाले चिकित्सक की सलाह के अनुसार 750/- रुपये से 1000/- रुपये प्रति माह का जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है।
2	हृद्य रोग	कामगारों को 1,30,000/- रुपये तक के खर्च की प्रतिपूर्ति।
3	गुर्दा प्रत्यारोपण	कामगारों को 2,00,000/- रुपये तक के खर्च की प्रतिपूर्ति।
4	कैंसर	सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों के माध्यम से कामगारों या उनके आश्रितों द्वारा उपचार, औषधीय सामग्री और भोजन पर किए गए वास्तविक खर्च की प्रतिपूर्ति।
5	हर्निया, एपेन्डेक्टॉमी, अल्सर गाइनेकोलॉजिकल बीमारियों और प्रोस्ट्रेट रोगों जैसी मामूली सर्जरी।	कामगारों को 30,000/- रुपये तक के खर्च की प्रति पूर्ति।

जारी.....4/-

IV. बीड़ी कामगारों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जीविका के व्यवहार्य वैकल्पिक स्रोतों के लिए रोजगार के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए बीड़ी श्रमिकों के कौशल विकास के लिए कार्रवाई शुरू की है।

(ख) से (घ): गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी योजनाओं के तहत आवंटित, जारी और उपयोग की गई राशि का राज्यवार और योजनावार विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये हजार में)

वर्ष	**स्वास्थ्य**		**छात्रवृत्ति**		**आवासन**	
	आबंटित बजट	**उपयोग/व्यय**	**आबंटित बजट**	**उपयोग/व्यय**	**आबंटित बजट**	**उपयोग/व्यय**
2016-17	967509	944710	875500	777968	551200	203387
2017-18	1517379	913268	849110	183214	618632	324679
2018-19	288958	72488	497200	410264	357710	258395
2019-20	130000	13631*	302500	389*	396300	31740*

*जून, 2019 तक का व्यय

12 अस्पतालों और 286 औषधालयों के माध्यम से बीड़ी कामगारों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान कराई जाती है।

(ङ): जीएसटी के कार्यों में और वित्त विधेयक, 2016 के पेश हो जाने के साथ चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए संगृहीत उपकर को समाप्त कर दिया गया है या उसे जीएसटी में समामेलित कर दिया गया है।

बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी कामगार कल्याण निधि की भूमिका निधि संबंधी मामलों पर सरकार को सलाह देने को समर्थन नहीं दिया जाता है क्योंकि इन निधियों का निरसन कर दिया गया है या निरसन की प्रक्रिया में हैं।

तथापि, बीड़ी कामगार कल्याण निधि पर केंद्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक 2017 में आयोजित की गई थी और इस समिति द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन किया गया।

****